

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796] No. 796] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2016

सा.का.नि 1073(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातु:--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (31 $^{\mathrm{ai}}$  संशोधन) नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 12घ के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
- "12ङ धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी.—धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे आय-कर प्राधिकारी होंगे जो आय-कर अधिकारी की पंक्ति से नीचे के न हों जिन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा धारा 143 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए आय-कर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"।

[अधिसूचना सं. 105 /2016/फा. सं. 142/8/2014-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

5310 GI/2016 (1)

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 1068(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2016

- **G.S.R. 1073(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (2) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
  - 1. (1) These rules may be called the Income–tax (31st Amendment) Rules, 2016.
    - (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 12D, the following rule shall be inserted, namely:-
    - "12E. Prescribed authority under sub-section (2) of section 143.—The prescribed authority under sub-section (2) of section 143 shall be an income-tax authority not below the rank of an Income-tax Officer who has been authorised by the Central Board of Direct Taxes to act as income-tax authority for the purposes of sub-section (2) of section 143.".

[Notification No. 105 /2016/F. No. 142/8/2014-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published vide Notification S.O. 969(E), dated 26th March, 1962 and last amended *vide* Notification G.S.R. 1068(E), dated 15th November, 2016.